न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन– 74/2026 अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रार्थीगण	विप्रार्थीगण
1. जालाराम पुत्र वगताराम जाति विश्नोई निवासी शौभाला दर्शान तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।	1. सुखराम पुत्र आईदान 2. उदाराम पुत्र गोरखाराम फौत के कायम मुकाम 2/1 बालकृष्ण पुत्र उदाराम 2/2 किशनाराम पुत्र उदाराम 3. हरीराम पुत्र उदाराम फौत के कायम मुकाम 3/1 राजेश पुत्र हरीराम 3/2 हनुमान पुत्र हरीराम 3/3 दिनेश पुत्र हरीराम 4. भाखरराम पुत्र धोंकला जातियान विश्नोई निवासी शौभाला दर्शान तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर। 5. भूमि विकास बैंक शाखा बालोतरा 6. तहसीलदार सेड़वा जिला बाड़मेर।

वकील प्रार्थीगण :– श्री आम्बाराम पूनड़

निर्णय

दिनांक:– 08/05/2026

प्रार्थी जालाराम पुत्र वगताराम जाति विश्नोई निवासी शौभाला दर्शान तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि "प्रार्थी के खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि ग्राम गोरखधाम पटवार हल्का शौभाला दर्शान, भू.अ.नि. क्षेत्र सोनड़ी तहसील सेड़वा उपखण्ड क्षेत्र सेड़वा के खेत खसरा संख्या 332 रकबा 23–4879 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम का आया हुआ है। प्रार्थी को उक्त खेत व रहवासीय ढाणी में आने जाने के लिए रास्ता अप्रार्थीगण के खातेदारी खेत ग्राम गोरखधाम पटवार हल्का शौभाला दर्शान के खसरा संख्या 349 रकबा 1–5945 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1427/349 रकबा 0–77 व खसरा संख्या 1539/351 रकबा 3–3994 हैक्टेयर में से 20 फीट के चौड़े रास्ते की निकटतम आवश्यकता है। उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:47:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

रास्ता आने जाने के लिए आवागमन की सुविधा हेतु उपयुक्त व सुविधाजनक रास्ता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खातेदारी व कब्जा काश्त के खेत में काश्त करने व रहवासीय ढाणी में आने–जाने का निकटतम रूट का सुविधाजनक रास्ता नहीं है। उक्त रास्ता शौभाला दर्शान से कोलीयाना जाने वाली डामर सड़क को जोड़ता है। मौके पर रास्ते के अलामात मौजूद है, अभी अप्रार्थीगण उक्त भूमि अपने नाम की खातेदारी में दर्ज होने का बहाना बना कर उक्त स्थान से चलने से मना कर दिया है तथा रास्ते हेतु आपसी सहमती से मामला नहीं बैठ रहा है। जिससे रास्ते की प्राप्ति हेतु उक्त प्रार्थना पत्र धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते का विवरण निम्नानुसार है–

क्र. सं.	खसरा संख्या	रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि	मौजा	खातेदार का नाम
1.	349	1–5945	बारानी सोयम	20 फीट	गोरखधाम	सुखराम पुत्र आईदान
2.	1427/349	4–7753	बारानी सोयम	20 फीट	गोरखधाम	उदाराम पुत्र गोरखाराम
3.	1539/351	3–3994	बारानी दोयम	20 फीट	गोरखधाम	भाखराराम पुत्र धोकला

प्रार्थी के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ते की सुविधा उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को अपने खेत में आने जाने के लिए अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि से 20 फीट चौड़े रास्ते की अत्यंत सख्त आवश्यकता है। जिसे संलग्न नक्शे में परिशिष्ट 'अ' में पीली स्याही से दर्शाया गया है। उक्त नक्शे को प्रार्थना पत्र का महत्वपूर्ण अंग माना जाकर साथ पढा जावें। प्रार्थीनी उक्त आवेदित स्थान के अभाव में प्रार्थीनी को आने–जाने में व खेतों में आने में व रहवासीय ढाणी में आने जाने, काश्त के साधन, उपकरण लाने व ले जाने, राशन सामग्री लाने व ले जाने में इत्यादि कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे रास्ते की सुविधा हेतु अत्यंत आवश्यकता है। लेकिन अप्रार्थीगण ने उक्त रास्ते की भूमि में से चलने से मना कर दिया है। जिससे प्रार्थी रास्ता प्राप्त की सुविधा अधिकार पाने का कानूनी हकदार है। प्रार्थी नियमानुसार प्रतिकर शुल्क अदा करने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवेदित स्थान की भूमि राजस्व रेकर्ड में रास्ते की सुविधा हेतु गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश तहसीलदार सेड़वा के नाम जारी फरमावें तथा उक्त रास्ते को [illegible] अप्रार्थीगण किसी प्रकार का आवागमन में बाधा कारित न करें, न ही करावें तथा आवेदित स्थान रास्ते की भूमि पर अप्रार्थीगण किसी प्रकार का कच्चा–पक्का निर्माण न करें न ही करावें। इस आशय का आदेश जारी फरमावें।''

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:47:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए नोटिस/सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त हुए, जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 व 2, 3 के कायम मुकाम की ओर से अधिवक्ता श्री करनाराम कड़वासरा ने वकालतनामा मय इकबालिया जवाब पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी संख्या 03 से 05 के सम्मन डाक द्वारा रजिस्टर्ड तामिलशुदा प्राप्त, जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी संख्या 04 से 05 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए उनके विरूद्ध एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया। तहसीलदार सेड़वा को प्रार्थीगण द्वारा वांछित रास्ते से संबंधित तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन हेतु न्यायालय के पत्रांकः रीडर/2026/296 दिनांक 06.04.2026 के द्वारा तहसीलदार सेड़वा को लिखा गया। कार्यालय तहसीलदार सेड़वा के पत्रांकः भू.अ./2026/41 दिनांक 08.04.2026 के द्वारा तथ्यात्मक मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 08.04.2026 अनुसार जालाराम पुत्र वगताराम, सुखराम पुत्र आईदानराम, बालकृष्ण पुत्र उदाराम, किसनाराम पुत्र उदाराम व राजेशकुमार पुत्र हरीराम की उपस्थिति में भूमि का मौका मुआयना किया गया। मौका रिपोर्ट निम्नानुसार तैयार की गई–

क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा हैक्ट. में	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा(हैक्टे. में)	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत	मौजा	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6	7	9
1.	भाखरराम पुत्र धोंकला जाति विश्नोई सा. देह खातेदार रहन बीएलडीबी बालोतरा में।	1539 /351	3–3994	0–1124 (रास्ते की चौड़ाई 20 फीट)	93966/–	गोरखधाम	बा.सो.
2.	उदाराम पुत्र गोरखाराम जाति विश्नोई सा. देह खातेदार	1427 /349	[illegible]	[illegible] की [illegible] फीट)	[illegible]9182/–	गोरखधाम	
3.	सुखराम पुत्र आईदान जाति विश्नोई सा. देह खातेदार	349	[illegible]–5945	0–1314 ([illegible] की चौड़ाई 20 फीट)	102624/–	गोरखधाम	

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:47:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

प्रस्तावित रास्ते के बीच में कोई कीमती पेड़, मकान इत्यादि नहीं है। मौके पर रास्ता चल रहा है, जो संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शाया हुआ है। मौका रिपोर्ट पढकर सुनाई गई। उपस्थित मोतबरान ने हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान किए।

प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 01 व 02, 03 के कायम मुकाम के अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का आद्योपांत अध्ययन अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेजों एवं मौका रिपोर्ट पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त चिंतन मनन किया गया। उभयपक्षकारान् अधिवक्ता द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों, तथ्यों आदि पर बहस की, जिस पर न्यायालय द्वारा स्वस्थ चित्त से विचारण किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर युक्तियुक्त विचारणोपरांत यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है तथा इसका अन्य विकल्प नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार योग्य प्रतीत होता है तथा प्रार्थी को जो रास्ता दिया जाना है, उसका विवरण निम्नानुसार है–

क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा हैक्ट. में	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत	मौजा	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6	7	9
1.	भाखराराम पुत्र धोंकला जाति विश्नोई सा. देह खातेदार रहन बीएलडीबी बालोतरा में।	1539 /351	3–3994	0–1124 (रास्ते की चौड़ाई 20 फीट)	93966/–	गोरखधाम	बा.सो.
2.	उदाराम पुत्र गोरखाराम जाति विश्नोई सा. देह खातेदार	1427 /349	4–7753	0–0809(रास्ते की चौड़ाई 20 फीट)	63182/–	गोरखधाम	
3.	सुखराम पुत्र आईदान जाति विश्नोई सा. देह खातेदार	349	1–5945	0–1314 (रास्ते की चौड़ाई 20 फीट)	102624/–	गोरखधाम	

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी [illegible] इस अधिनियम में इस नियम 70(1) में स्पष्ट है कि यदि पक्षकार प्रतिक[illegible] की राशि पर परस्पर रूप से सहमत हो जाते हैं, तो उपखण्ड अधिक[illegible]) के अनुसार प्रतिकर की

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:47:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

राशि अवधारित करेगा। हस्तगत प्रकरण में विप्रार्थी संख्या 01 व 02, 03 के कायम मुकाम ने आपसी सहमति से नए रास्ते में समाविष्ट भूमि अपने हिस्से में से बिना कोई प्रतिकर(निःशुल्क) देने की लिखित सहमति प्रस्तुत की है।

प्रार्थीगण के आवेदन की गंभीरता व अत्यधिक आवश्यकता के दृष्टिगत उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1)–(b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार के पत्रांकः भू.अ./2026/41 दिनांक 08.04.2026 द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द दिनांक 08.04.2026 एवं संलग्न आंशिक नक्शा ट्रेस बरंग लाल से दर्शाया गया है जिसमें वर्णित एवं दर्शित अनुसार 20 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थी के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। विप्रार्थी संख्या 01 व 02, 03 के कायम मुकाम की ओर निःशुल्क रास्ता देने हेतु सहमति देने के कारण प्रार्थी विप्रार्थी संख्या 04 के हिस्से की क्षतिपूर्ति राशि नियमानुसार डीएलसी दर की दो गुना राजकोष में अदा करेगें। तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 08.04.2026 मय फर्द दिनांक 08.04.2026 व नक्शा निर्णय का अनिवार्य अंग रहेंगे। प्रार्थीगण को उक्त खसरे में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :–

1. तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में संलग्न आंशिक नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया है कि प्रस्तावित नए रास्तें में विप्रार्थी संख्या 04 के हिस्से की समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुना राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी।
2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त निर्धारित राशि का भुगतान प्रार्थी द्वारा प्रभावित पक्षकार (विप्रार्थी संख्या 04) को नए रास्तें में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुना के बराबर होगी।
3. प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्तें में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि तहसीलदार सेड़वा को प्रदान करने के उपरान्त ही स्वयं द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:47:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO)

भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जायेगा।

4. नए प्रस्तावित 20 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में ''गैर मुमकिन रास्ता'' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।
5. प्रार्थी को उक्त 20 फीट चौड़े रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे।
6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्यधीन ही प्रार्थीगण को नया रास्ता देने हेतु आज दिनांक 08/05/2026 को आदेश किया जाता है। मौका फर्द मय नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेंगे। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार सेड़वा को लिखा जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर, दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

(बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

सहायक कलक्टर (BDO) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:47:17 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली कोर्ट

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.)सेडवा जिला बाडमेर

क्रमांक / भू.अ. / 2026 / 41 दिनांकः– 08/04/2026

प्रेषितः–श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,
सेड़वा

विषयः– राजस्व आवेदन सं 74 / 2026 अनवान जालाराम बनाम सुखराम वगैरा अंतर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(A) में मौका रिपोर्ट भेजने बाबत्।

प्रसंग–श्रीमान के न्यायालय के पत्रांक / रीडर / 2026 / 296 दिनांक 06.04.2026 के सदंर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के सदंर्भ में निवेदन है कि राजस्व वाद संख्या 74 / 2026 अनवान जालाराम बनाम सुखराम वगैरा अन्तर्गत आर टी एक्ट की धारा 251 ए तहत ग्राम गोरखधाम के खसरा 332 में आने जाने के लिए विप्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 349, 1427 / 349 व 1539 / 351 में से रास्ता दिया जाने हेतु आप द्वारा मौका रिपोर्ट चाही गई थी। जिसकी पालना में भू. अ. निरीक्षक सोनड़ी द्वारा दिनांक 08.04.2026 को मौके पर जाकर जांच कर मौका रिपोर्ट इस पत्रांक के सलंगन अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जा रही है।

सलंगनः– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:47:17 IST
Reason: SelfAttested

प्रथम वार्ड

मौका रिपोर्ट

(धारा 251(A) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत)

मैं धनराज (नाम) भू. अभिलेख निरीक्षक वृत्त सोनड़ी कार्यालय, तहसीलदार सेड़वा के आदेश क्रमांक 1055 दिनांक 7.04.2026 की पालना में भूमि की मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु आज दिनांक 08.04.2026 समय 3.00 PM बजे आराजी खसरा नम्बर- 349, 1427/349, 1539/351 वाके ग्राम गोरखधाम पटवार मंडल गांधीनगर(?) पर श्री मांगीलाल पटवारी के साथ मौके पर पहुंचा।

समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस क्रमांक SP-1 TO SP-3 दिनांक 7.04.2026 द्वारा जारी किये गये थे जिनकी तामील विधिवत रूप से करवायी गयी। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित थे :-

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	प्रार्थी/अप्रार्थी
1.	जालाराम	s/. वगतालाराम	60	विश्नोई	प्रार्थी
2.	सुखराम	s/. आईदानराम		—"—	विप्रार्थी
3.	बालकृष्ण	s/. उदाराम		—"—	—"—
4.	किसनाराम	s/. उदाराम		—"—	—"—
5.	राजेशकुमार	s/. रुघनाथ		—"—	—"—
6.					

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मौका मुआयना किया गया एवं मौका रिपोर्ट निम्मानुसार तैयार की गई :-

क्र.स.	खातेदार का नाम वल्दमय	ग्राम	खसरा नं.	रकबा हे.	रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	रास्ते में समाविष्ट भूमि की चौड़ाई	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत DLC की दुगनी
01	भाखराराम पुत्र श्योंकाराम जाति विश्नोई सा.देह खातेदार रहन: BLDB शा. बालोतरा में	गोरखधाम	1539/351	3.3994	0.1124 हेक्टर	20 फीट	46983/- X2=93966/-
02.	उदाराम पुत्र गोरखाराम जाति विश्नोई सा.देह खातेदार	गोरखधाम	1427/349	4.7753	0.0809 हेक्टर	20 फीट	31591/-X2 = 63182/-
03.	सुखराम पुत्र आईदान जाति विश्नोई सा.देह खातेदार	गोरखधाम	[illegible]	[illegible]	0.1314 हेक्टर	20 फीट	51312/-X2 =102624/-

प्रस्तावित रास्ते के बीच में कोई कच्चा पेड़, मकान इत्यादि नहीं है। मौके पर रास्ता चल रहा है। जो संलग्न नक्शा में लाल रंग से दर्शाया हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:47:17 IST
Reason: SelfAttested

ILR सोनड़ी

(मांगीलाल मांजू) 8/04/2026
पटवारी (भू.अ.) गांधीनगर(?)
तहसील सेड़वा

सहायक कलेक्टर (SDO) सेड़वा

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

उदर्भ कार्य

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

उक्त मौका रिपोर्ट उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरानों को पढ़कर सुनायी गई। मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़, सुन एवं समझ कर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	हस्ताक्षर	प्रार्थी/अप्रार्थी
1.	जालाराम	s/. वगताराम	विश्नोई	—	प्रार्थी
2.	सुखराम	s/. आईदानराम	—"—	—	विप्रार्थी
3.	बालकृष्ण	s/. उदाराम	—"—	बालकृष्ण	—"—
4.	किसनाराम	s/. उदाराम	—"—	किसना	—"—
5.	राजेशकुमार	s/. हरीराम	—"—	राजेश	—"—

निम्न पक्षकारों ने मौका रिपोर्ट पढ़, सुन, समझ कर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	प्रार्थी/अप्रार्थी

मौके पर उपस्थित अन्य मौतबिरान को भी उक्त मौका रिपोर्ट पढ़कर सुनायी गयी और उनके निम्न प्रकार हस्ताक्षर करवाये गये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता/ मोबाईल नं.
1	बलवन्ताराम	S/o राजूराम		विश्नोई	VIP-शोभाला दर्शान् Mob.N. 9602602368 बलवन्त
2.	बाबूलाल	s/. सुखराम		—"—	VIP-शोभाला दर्शान् Mob.N. 8875265770

इस प्रकार आज दिनांक 08.04.2026 को यह मौका रिपोर्ट तैयार की गई है।

08/04/2026

हस्ताक्षर
पटवारी
पं. म.

(पटवारी (भू.अ.) तहसील सेड़वा)

भू.अ. निरीक्षक
वृ.................

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:47:17 IST
Reason: SelfAttested

NIC-BHUNAKSHA

राजस्थान सरकार

खसरा नक्शा एवं जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 07/04/2026 05:46:02 PM

: बाड़मेर | तहसील : सेड़वा | भू.अ.नि. क्षेत्र : सोनड़ी

हल्का : शोभाला दर्शान | ग्राम : गोरखधाम

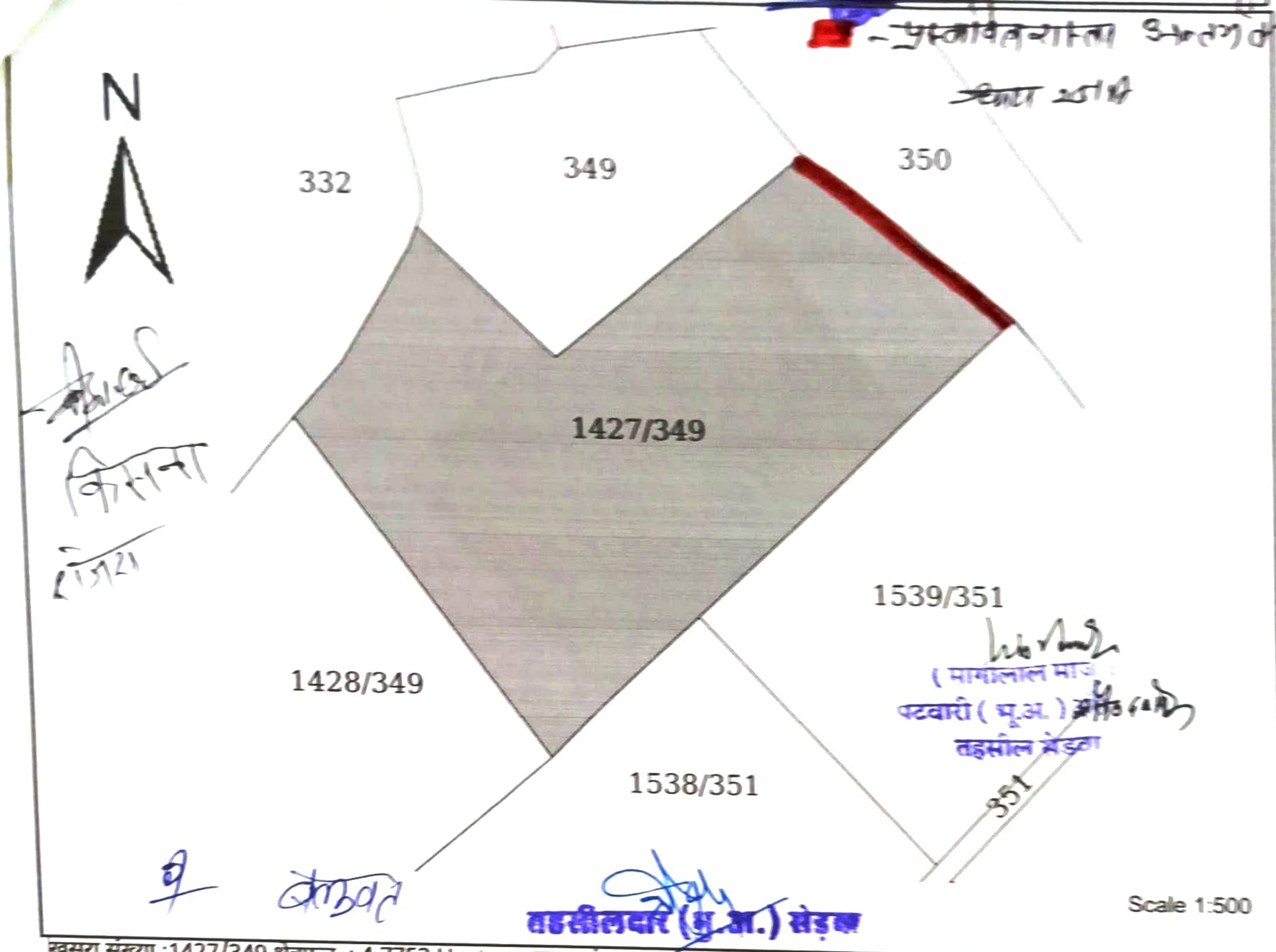

खसरा संख्या :1427/349 क्षेत्रफल : 4.7753 Hectare खाता संख्या : 5पुराना खाता संख्या :5

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बा.सोयम [4.7753, 1.48]

1.) उदाराम पुत्र गोरखाराम हिस्सा- पूर्ण जाति- विश्नोई सा. देह खातेदार

प्रमाणित प्रतिलिपि

(मांगीलाल माजू)

पटवारी (भू.अ.)

तहसील सेड़वा

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता।

३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय से सम्पर्क करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:47:17 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 07/04/2026 05:46:27 PM

ला : बाड़मेर तहसील : सेड़वा भू.अ.नि. क्षेत्र : सेड़वा

हल्का : शोभाला दर्शान ग्राम : गोरखधाम

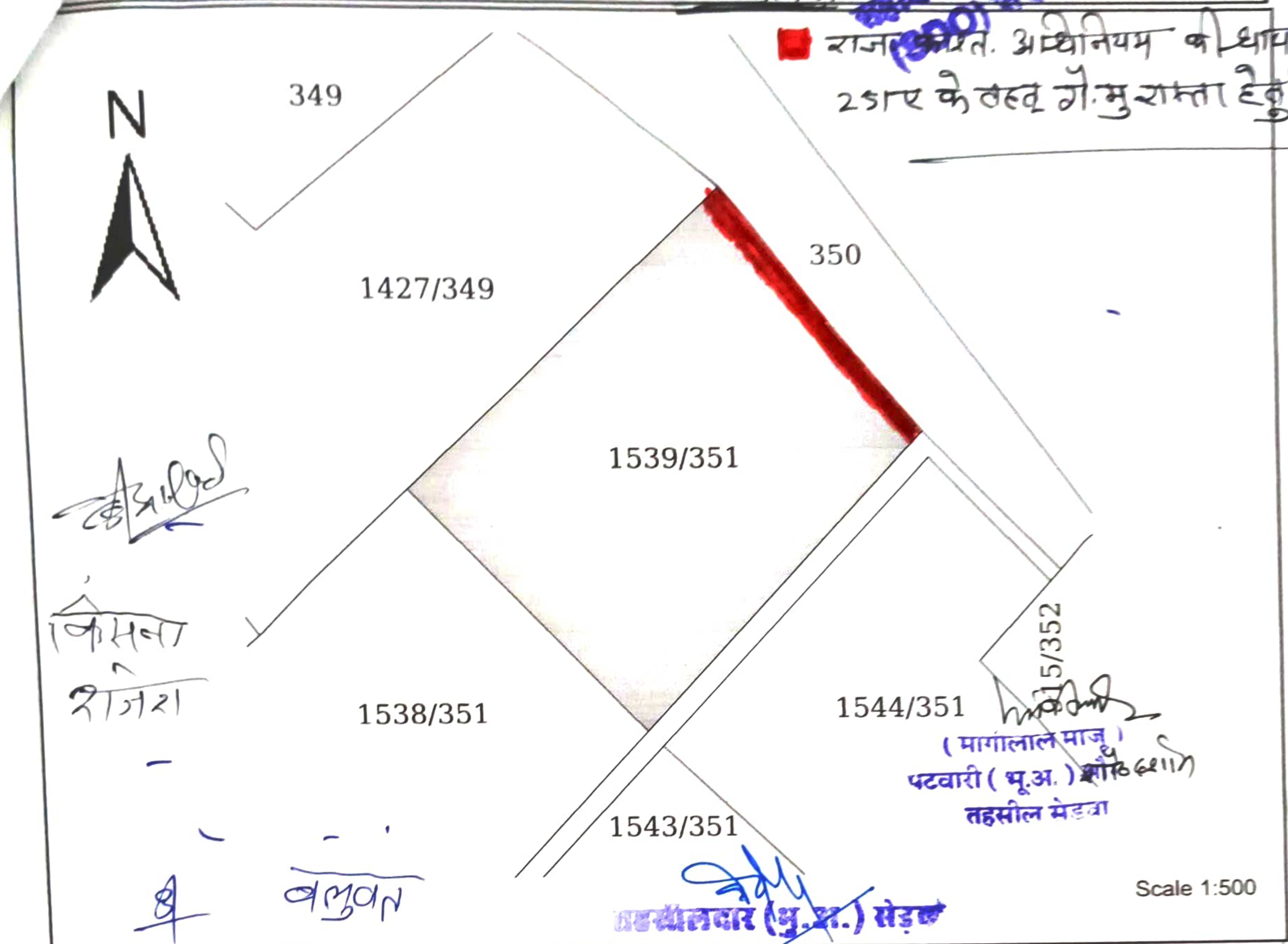

खसरा संख्या :1539/351 क्षेत्रफल : 3.3994 Hectare खाता संख्या : 35पुराना खाता संख्या :36

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बा.दोयम [3.3994, 1.29]

1.) भाखराराम पुत्र धोंकला हिस्सा- पूर्ण जाति- विश्नोई सा. देह खातेदार (पूर्ण खाता) भूमि विकास बैंक शाखा बालोतरा

प्रमाणित प्रतिलिपि

(मांगीलाल माजु)
पटवारी (भू.अ.)

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता।
३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय से संपर्क करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:47:17 IST
Reason: SelfAttested

NIC-BHUNAKSHA

राजस्थान सरकार

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 07/04/2026 05:38:37 PM

...ला : बाड़मेर तहसील : सेड़वा भू.अ. नि. क्षेत्र : सोनड़ी

...हल्का : शोभाला दर्शान ग्राम : गोरखधाम

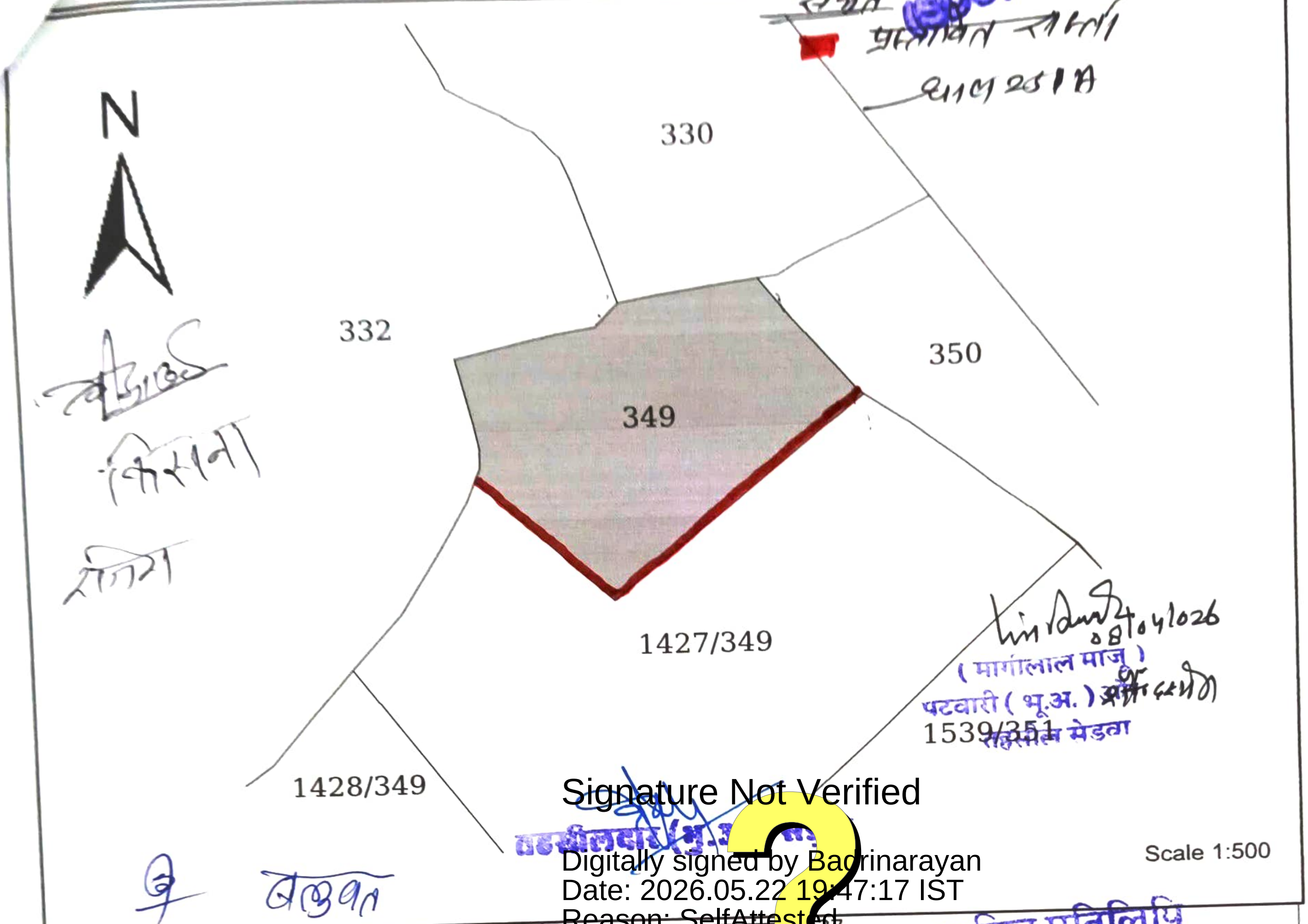

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:47:17 IST
Reason: SelfAttested

खसरा संख्या :349 क्षेत्रफल : 1.5945 Hectare खाता संख्या : 52 पुराना खाता संख्या : 37

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बा.सोयम [1.5945, 0.49]

1.) सुखराम पुत्र आईदान हिस्सा- पूर्ण जाति- विश्नोई सा. देह खातेदार

प्रमाणित प्रतिलिपि

(मांगीलाल माजू)
पटवारी (भू.अ.) सोनड़ी
तहसील सेड़वा

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
३. त्रुटियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।